बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 28/1/2016

संचिका सं०–17/विविध–96/2015.....64(17)........../स्वा०/डा0 विभा झा, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर) स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय को समादेश याचिका संख्या–9877/2011 में दिनांक–20.06.2012 को पारित न्यायादेश के आलोक में सीनियर रेजिडेंट(टेन्योर) स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग के टेन्योर अवधि की गणना विभागीय अधिसूचना संख्या–453(17) दिनांक–10.05.2011 द्वारा आच्छादित होने के कारण सहायक प्राध्यापक (संविदा) स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग के पद पर नियुक्त कर दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय में तीन वर्षों के लिए अथवा नयी नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. संविदा पर नव नियुक्त चिकित्सक शिक्षक को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अनिवार्य रूप से तुरत कार्यभार ग्रहण कर सूचित करें।

3. प्राचार्य योगदान के समय योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की जाँच कर लेंगे तथा किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर विभाग को सूचित करेंगे।

4. डा0 झा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी हैं। उन्हें जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है, वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जाएगी।

5. नियुक्ति संबंधी शर्ते :–

(क) समय–समय पर इनके कार्य एवं आचरण की समीक्षा की जायेगी, जिसे असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में समय से पूर्व भी कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।

(ख) प्राचार्य योगदान के समय एक सौ रूपये के नन जूडिसीयल/एडहेसिव स्टाम्प पर सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुबंध संबंधी विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षरित करा लेंगे तथा योगदान के समय शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की जाँच कर लेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
28/01/16
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–17/विविध–96/2015 64(17) **पटना, दिनांक–** 28/1/2016

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

R.n.k. sir/New Adhisuchna 2016

प्रतिलिपि :—महालेखाकार (ले0एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै० दा० नि० को०) विभाग बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :—प्राचार्य/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय एवं सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :—माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (श्री वर्मा)/उप निदेशक (चिकित्सा शिक्षा)/निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी /विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा–17) स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :—प्रशाखा पदाधिकारी, 1, 2 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :—आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

28/01/16

सरकार के संयुक्त सचिव।